अध्याय 9

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
[NATIONAL EDUCATION POLICY (1986)]

भारत सरकार ने राष्ट्र की समृद्धि में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके विकास की विशेष ध्यान दिया। शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं एवं उनके समाधान खोजने के लिए सरकार ने समितियों व आयोगों का गठन किया। इनमें विश्वविद्यालयी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन् आयोग और माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 प्रमुख थे। ये दोनों आयोग एकांगी थे। अतः सरकार ने शिक्षा के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के 1964 में शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्र करते हुए **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** की आवश्यकता पर बल दिया था। आयोग के प्रतिवेदन में दी संस्तुतियों के आधार पर 1967 में, भारत सरकार ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने कार्य एक संसदीय समिति को सौंप दिया, इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित कर उसकी घोषणा कर दी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ व आवश्यकता
(MEANING AND NEED OF NATIONAL EDUCATION POLICY)

वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन होता है, राष्ट्रीय शिक्षा कहलाती है। मानव रूपी बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति अवलम्बि त्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएँ व अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं तथा विकास की इस जटिल प्र ां शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है, जिसे सुनियोजित करना व संवेदन ा क्रियाशील बनाना जरूरी होता है। जीवन की लगातार जटिलतर होती जा रही तनावपूर्ण परिस्थि ां तथा व्यक्ति को नए वातावरण में लाभान्वित करने के प्रयास हेतु मानव संसाधन के विकास की रूपरेखा बनानी आवश्यक है। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने हेतु तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं आदर्श ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राष्ट्र अपने विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण हमें शिक्षा की निश्चित नी का निर्धारण करने की आवश्यकता है।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य शिक्षा के उन सिद्धान्तों तथा नीतियों के निर्धारण से है, जि आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। शिक्षा आयोग का यह कथन भी रा

शिक्षा नीति की आवश्यकता का अनुभव कराता है—शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि इसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाय और इस प्रकार इसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाय, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
[NATIONAL EDUCATION POLICY (1986)]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रान्तों ने अपने-अपने ढंग से 10 + 2 + 3 की शिक्षा संरचना लागू कर दी थी। त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया गया था। कई प्रान्तों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिये विशेष प्रावधान किये जाने लगे थे। प्रायः सभी प्रान्तों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान व गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिये कदम उठाये जाने लगे थे। परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार के बनने पर 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8 + 4 + 3 शिक्षा संरचना का विचार आया। जिसके परिणामस्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री प्रतापचन्द्र चन्दर ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था, कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई व पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। परन्तु इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्री बनने पर, हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे **शिक्षा की चुनौती नीति–सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education : A Policy Perspective)** नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित कराया गया। जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुये उसके गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन किया गया है। सरकार के इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुये। केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन, 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई, 1986 में पास कराया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना (Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें नीति के साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिये पर्याप्त संसाधन जुटाये गये हैं।

इस शिक्षा नीति में दस्तावेज को 12 भागों में बाँटा गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

(1) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन (Reorganization of Education at Different Levels)—ये निम्न प्रकार हैं—

(अ) पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षण (Early Childhood Care and Education : ECCE)—शिक्षा की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिशु के विकास की सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई है, अर्थात् आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुये समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा, जिसमें शिशु की देखभाल व पूर्व

प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जायेगा। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम से उपयुक्त रूप से समन्वित किया जायेगा।

(ब) प्राथमिक (मौलिक) शिक्षा [Primary (Elementary) Education]—इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जायेगा। इस शिक्षा नीति में गति निर्धारित स्कूलों की व्यवस्था करने की बात भी कही गयी है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को अपनी गति से पढ़ने का अवसर दिया जाएगा तथा उन्हें पूरक उपचारात्मक अनुदेशन दिया जायेगा। समस्त देश में प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिये तत्काल **'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड'** कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(स) माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)—इस राष्ट्रीय नीति में माध्यमिक शिक्षा अपनी विशिष्ट भूमिका में दिखायी देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में **नवोदय विद्यालयों** की भी स्थापना की जायेगी ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर प्रदान किये जा सकें। इस स्तर पर क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा लचीले **व्यावसायिक कार्यक्रम** शुरू किये जायेंगे। विशेष संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा तथा माध्यमिक शिक्षा से अपवंचित वर्ग तथा क्षेत्र के लिये व्यापक स्तर पर नये विद्यालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त नव साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, स्कूल छोड़ जाने वालों तथा रोजगार या आंशिक रोजगार में लगे हुये व्यक्तियों के लिये भी अनौपचारिक, लचीले व आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

(2) उच्च शिक्षा (Higher Education)—इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को साधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिये पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में नवीन शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

(i) एक बड़ी संख्या में स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों का विकास किया जायेगा तथा विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायत्तता दी जायेगी।

(ii) उच्च शिक्षा के लिये न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी तथा छात्रों की संख्या को सीमित रखने के साथ ही विशेषज्ञता सम्बन्धी माँगों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जायेगा।

(iii) उच्च शिक्षा का परिषदों के माध्यम से राज्य स्तरीय नियोजन व समन्वय किया जायेगा तथा क्षमता के अनुसार प्रवेश को नियमित किया जायेगा।

(iv) शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जायेंगे तथा शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन भी व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जायेगी और अनुसन्धान की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी व आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

(vi) शिक्षा के स्तर पर निगरानी के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा परिषदें कार्य करेंगी।

(vii) सामान्य रूप से उच्च शिक्षा को तथा विशेष रूप से कृषि, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, कानून व शिक्षा पर आधारित अन्य व्यवसायों के क्षेत्रों को अपना लक्ष्य बनाने वाली एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना शिक्षा नीति में एकरूपता व सुसंगति पैदा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

शिक्षा के समान अवसरों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से **मुक्त विश्वविद्यालय** तथा **दूरस्थ शिक्षा प्रणाली** को नयी शिक्षा नीति में प्रश्रय दिया जायेगा। विशिष्ट तकनीकी सेवाओं जैसे—डॉक्टरी

इंजीनियरिंग, विधि तथा ऐसी अन्य सेवाओं में, जहाँ अकादमिक योग्यता आवश्यक है, को छोड़कर अन्य सामान्य सेवाओं के लिये डिग्री की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी।

(3) **तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education)**—नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत् शिक्षा की व्यवस्था करने की बात भी कही गयी है।

(4) **शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making the Education System Effective)**—इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात कही गई है।

(5) **शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना (To Give New Prospective to Educational Content and Process)**—नई शिक्षा नीति में शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विषयवस्तु से सम्बन्धित किया जायेगा।

(6) **शिक्षक व शिक्षक शिक्षा (Teacher and Teacher Education)**—नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षकों की सेवा शर्तों और कार्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सुधार किया जायेगा। शिक्षकों के चयन के तरीकों को भी इस प्रकार पुनर्गठित किया जायेगा कि योग्यता व वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके।

नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T. : District Institute of Education and Training) स्थापित किए जायेंगे, जो प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों व निरौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए सेवापूर्ण व सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कुछ चयनित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी उच्चीकृत करके उन्हें SCERT के कार्य के पूरक के रूप में कार्य दिया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने का अधिकार दिया जायेगा तथा उसे आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) **शिक्षा का प्रबन्धन (Management of Education)**—(i) शिक्षा के प्रबन्ध हेतु, शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। (ii) राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध की दिशा में **'सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन'** शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वांछित परिवर्तन किए जायेंगे।

नई शिक्षा नीति (1986) हेतु कार्य योजना (Plan of Programme of Action or POA for New Education Policy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन, संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद, मई 1986 में किया गया था तथा इसके लगभग 6 महीने बाद नवम्बर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए **कार्य योजना** (Plan of Action) के दस्तावेज का प्रकाशन किया गया।

इस शिक्षा नीति को लागू करने के मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्यदलों का गठन किया था, जिनमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने की विधि पर विचार करके अपनी संस्तुति जुलाई 1986 में प्रस्तुत की। इन सुझावों पर 21 जुलाई, 1986 को राज्य व केन्द्र के सक्षम शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में विचार करके एक कार्ययोजना (POA) तैयार की गयी, जिसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् द्वारा पुनः विचार करके अपनी स्वीकृति दे दी गयी। यह अन्तिम प्रारूप

भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृत किया गया, जिसे बाद में सभी राज्यों में लागू कर दिया गया।

नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना (Plan of Action for Secondary Education in New Education Policy)

नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझा गया था। अतः इसमें इस स्तर की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिये गये थे—

1. आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना।

2. इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्थित व सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई है, जो छात्रों को उनके शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करे।

3. व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवायोजकों पर सहभागिता के आधार पर सौंपा गया है।

4. माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिए।

6. माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें।

उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना (Plan of Action for Higher Education)

उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद, नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गई हैं—

1. भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय व 5000 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाय।

2. शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करना व अधिक सुविधायें प्रदान करना।

3. सम्बद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेज खोले जायें।

4. भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना व पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना।

5. उच्च शिक्षा के स्तर पर व उसकी गुणवत्ता पर यू. जी. सी. द्वारा निरन्तर निगरानी रखना।

6. शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से ओरिएन्टेशन प्रोग्राम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ऐकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992) [MODIFIED NATIONAL EDUCATION POLICY, 1986 (1992)]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। इसी मध्य केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गई। इस सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु 'राममूर्ति समीक्षा समिति 1990' का गठन कर दिया। पर इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार प्रारम्भ होने से पूर्व ही केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और इस सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु 'जनार्दन

समिति 1992' का गठन कर दिया। दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे 'संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' के नाम से प्रकाशित किया। कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 भी कहते हैं। सरकार ने 1992 में ही इसकी कार्य योजना (Plan of Action) में भी कुछ परिवर्तन कर दिए। यह परिवर्तित कार्य योजना 1992 (Plan of Action 1992) कहलाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं संशोधित नीति, 1992 का प्रभाव (EFFECT OF NATIONAL EDUCATION POLICY, 1986 AND MODIFIED POLICY, 1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें नीति के साथ इसको लागू करने की पूरी कार्य योजना 1986 में बनाई गई। 1992 में जब इसमें कुछ संशोधन किये गये, तो साथ ही इसकी कार्य योजना में भी संशोधन किया गया और उसे कार्य योजना, 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। वर्तमान में देश में इसी नीति का पालन हो रहा है और नीति के तहत शिक्षा के हर स्तर पर प्रसार एवं उन्नयन दोनों कार्य किये जा रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक जो विशेष हुआ है, उसे निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है—

(1) केन्द्र और प्रान्तों के शिक्षा बजट में वृद्धि हुई है, फिर भी अभी तक केन्द्र के बजट में शिक्षा पर 6% व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

(2) पूरे देश में 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना लागू हो जाने पर भी प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या अभी तक लागू नहीं हो पाई है।

(3) शिशुओं की देखभाल और पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। 2007 तक देश में 7.5 लाख से अधिक तो आँगनबाड़ियाँ और बालबाड़ियाँ स्थापित की जा चुकी थीं और इनसे 2.4 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

(4) प्राथमिक शिक्षा का तेजी से प्रसार एवं उन्नयन हो रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत 2007 तक लगभग 80% प्राथमिक और 40% उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा में सुधार किया जा चुका था।

(5) माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में भी तेजी आई है। इस स्तर पर खुली शिक्षा का भी विस्तार किया गया है। अकेले राष्ट्रीय खुले विद्यालय (National Open School) में 4 लाख से अधिक छात्र-छात्रायें पंजीकृत हैं। गति निर्धारक विद्यालयों (Pace Setting Schools) के रूप में 2007 तक 565 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(6) लगभग सभी प्रान्तों में +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किये गये हैं, परन्तु इसमें आशातीत सफलता मिलना शेष है।

(7) उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रबन्ध शिक्षा सभी के विकास एवं उन्नयन के लिये प्रयत्न जारी हैं। इस दिशा में, उच्च शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने के लिये दूरस्थ शिक्षा (खुली शिक्षा) का काफी प्रसार किया गया है तथा इसके उन्नयन हेतु अद्यतन एवं स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार एवं लागू किये गये हैं। इसके साथ ही स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थाओं को खुले हाथ मान्यता दी गई है। इन सभी प्रयासों से उच्च शिक्षा का प्रसार तो अवश्य हुआ है, पर उसके स्तर में गिरावट आ रही है।